

**बिहार सरकार**  
**भवन निर्माण विभाग**  
**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**संरचना प्रमण्डल संख्या 3, पटना।**  
**केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेवसाईट एवं [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर**  
**ई-निविदा आमंत्रण सूचना**  
**S.B.D. आधारित ई- निविदा संख्या-07 / Const.Div.No-3 / 2025-26**

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या-3, भवन निर्माण विभाग, पटना।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक-28.01.2026
3. निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड) करने की अन्तिम तिथि एवं समय :- दिनांक-10.02.2026 से 09.03.2026 के 15:00 बजे तक।
4. निविदा जमा करने (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक-10.03.2026 के 15:00 बजे तक।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-10.03.2026 को 15:30 बजे।
6. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड निष्पादन के पश्चात्।
7. प्री-बीड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :- (क) दिनांक-23.02.2026 को 16:00 बजे अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, भवन निर्माण विभाग पटना के कार्यालय कक्ष में।  
 (ख) दिनांक-24.02.2026 को 16:00 बजे मुख्य अभियंता (पटना) भवन निर्माण विभाग पटना के कार्यालय कक्ष में।
8. निविदा वैधता की अवधि :- 120 दिन
9. निविदा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम :- सक्षम प्राधिकार
10. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- केवल वेवसाईट ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) पर
11. निविदा प्राप्ति का स्थान :- केवल वेवसाईट ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) पर

**कार्य की विवरणी:-**

क्र० सं०	कार्य का नाम	निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि (रु०) में	अग्रधन की राशि (रु०) में	निविदा विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु०) में	ई-निविदा प्रक्रिया सेवाकर सहित शुल्क (रु०) में	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत बाँका जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बाँका के परिसर में अतिरिक्त भवनों यथा-300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5), 200 बेड का एक बालक छात्रावास (G+3), 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3), गेस्ट हाऊस/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के लिए पार्किंग सहित (G+5) का दो भवन, सहायक प्राध्यापक के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट (G+5) (02 Blocks), एमेनिटी भवन (G+1), प्रशासनिक भवन (G+2) तथा मल्टी स्पोर्ट्स इनडोर स्टेडियम (G+2) का निर्माण कार्य।	₹128,90,64,288/-	₹ 138,91,000/-	10,000/-	As Per eproc2	18 (अठारह माह)

12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा राष्ट्रीय स्तर के हों निविदा में भाग ले सकते हैं। परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। Debarred/Black listed संवेदक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
13. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी eProc 2.0 Help Desk Address: mjunction Services Limited RJ Complex, 2<sup>nd</sup> Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. Shastri Nagar, Patna 800014, Bihar (Tel:-1800 572 6571) (Working Hours – 8:00 A.M to 7:00 P.M) Email ID – [eproc-2support@bihar.gov.in](mailto:eproc-2support@bihar.gov.in) पर कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
14. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आव यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID, Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। User ID/ Password/DSC एवं इंटरनेट के माध्यम से संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
15. निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा) को Online (O-GRAS/Challan), Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card अथवा Internet Banking) के माध्यम से जमा करना होगा। इसके प्राप्ति रसीद को स्कैन कर Upload करना होगा।
16. संवेदक/फार्म द्वारा बेल्ट्रान को भुगतान की जाने वाली राशि B.S.E.D.C का Bid Processing Charge + Service Tax के राशि का भुगतान संवेदक को Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS challan के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid Processing Fee account में Credit करना है।
17. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाइट ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) पर ही, निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करना होगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त होगी।
18. कार्य संपादन के पश्चात् निधि उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जाएगा। नियमानुसार विपत्र से श्रोत पर जी0एस0टी0, आयकर, जमानत की राशि एवं अन्य कटौतियों के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
19. निविदाकार को सभी निविदा कागजात तथा अग्रधन की राशि, निबंधन, पैन कार्ड, जी0एस0टी, इत्यादि जो निविदा की योग्यता को पूर्ण करते हैं को Scan कर अपलोड करना होगा।
20. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को भिलंबित करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
21. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या-3, पटना/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/मुख्य अभियंता, (संरचना/पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
22. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने/तिथि विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा के साथ समर्पित EMD पर किसी प्रकार का ब्याज भवन निर्माण विभाग द्वारा देय नहीं होगा। कार्य से संबंधित कोई भी वाद का निपटारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायिक प्रक्षेत्र के अधीन होगा।
23. कार्य योजना के सभी अवयवों के लिए दोष दायित्व अवधि सभी परियोजनाओं को पूरी तरह से प्रशासी विभाग को हस्तान्तरण के बाद 03 वर्ष के लिए होगा।
24. अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ प्रमाण-पत्र सलंगन करना अनिवार्य होगा।
25. यंत्र-सयंत्र की सूची सलंगन करना अनिवार्य होगा। साथ ही भवन निर्माण विभाग में यंत्र-सयंत्र हेतु समय-समय पर निर्गत आदेश मान्य होगा।
26. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व सम्बंधित ड्राइंग, डिजाइन, विशिष्टता एवं कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति से अवगत होकर ही अपना दर उद्धृत करेंगे। कार्य स्थल पर मिट्टी/बालू भराई, अतिरिक्त सामग्री ढुलाई इत्यादि से सम्बंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
27. निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता की सम्पुष्टि इंजीनियर इंचार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यों में करना होगा।
28. क्रम संख्या-7 (क एवं ख) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस मान्य होगा एवं अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
29. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-29, दिनांक-25.01.2021 के क्रम में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2033(E) दिनांक-11.04.2022 द्वारा अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
30. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7974 (भ), दिनांक-09.11.2022 द्वारा Unique Document Identification Number (UDIN) संबंधित शर्त निविदा में लागू होगा।
31. अग्रधन की राशि कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या-3, भवन निर्माण विभाग, पटना के नाम से भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्धारित प्रपत्र में निर्मित बैंक गारंटी मान्य होगा, जिसका Online/ Offline Verification किया जायेगा। इसके अतिरिक्त Internet Payment Gateway EIPG के माध्यम से भी संवेदक अग्रधन की राशि का भुगतान कर सकते हैं। सभी भुगतान [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) ई-निविदा मॉड्यूल के अनुसार मान्य होगा। भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र-ज्ञापांक-4533(भ), दिनांक-22.05.2025 द्वारा बैंक गारंटी को मूल में जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त की जा चुकी है। निविदाकार वांछित बैंक गारंटी को स्कैन कर ई-निविदा में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनकी निविदा अमान्य होगी। e-BG के रूप में EMD में जमा करने हेतु विकल्प होगा।
32. निविदा का निस्तारण PWD Code, PWA Code, S.B.D नियम Information to Bidder (ITB), General Condition of Contract (G.C.C), Special Condition of Contract (S.C.C), भवन निर्माण विभाग के नियम और बिहार सरकार के Rule of Bid Document के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वतः अमान्य होगा।

33. भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3284 दिनांक-05.05.09 के अनुसार समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता अथवा वरीय परियोजना प्रबंधक स्तर के नीचे के पदाधिकारी द्वारा मान्य नहीं होगा। गैर सरकारी कार्य के संबंध में कार्य का मुल्यांकन सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/राष्ट्रीयकृत बीमा निगम/आयकर विभाग द्वारा निबन्धित valuer के द्वारा मुल्यांकित किया गया होना चाहिए। गैर सरकारी भवनों की पूर्णता के संबंध में यह आवश्यक होगा कि भवन का 50% से ज्यादा क्षेत्र एक माह से अधिक की अवधि से आवासित या उपयोग में है एवं यह प्रमाण पत्र भी ऊपर वर्णित पदाधिकारी का होना चाहिए। इस संबंध में आवश्यकता अनुरूप Clarification की माँग की जा सकती है।
34. SBD Mode में यदि बोली दस्तावेज में कोई विनिर्देश/ड्राईंग/डिजाईन और आईटम नहीं है तो उस स्थिति में कार्य BCD/CPWD विनिर्देश, NBC-2016, आईएस कोड प्रवाधानों में दिये गये विनिर्देश/ड्राईंग/डिजाईन और आईटम के अनुसार निष्पादित किया जायेगा। DSR/ SOR-2022 एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार के प्रभारी अभियंता/सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
35. कार्य के निष्पादन के दौरान यदि निविदादाताओं द्वारा प्रदान की गयी किसी भी वस्तु की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत विशेषताओं/ड्राईंग/डिजाईन एवं मद में छूटे विवरणी के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
36. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-566 दिनांक-17.01.2022 द्वारा निवदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त करते हुए प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धृत वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है। तदनुसार ही संवेदक अपना दर/राशि उद्धृत करेंगे।
37. अन्य जानकारी वेबसाईट [www.state.bihar.gov.in/bcd](http://www.state.bihar.gov.in/bcd) ([www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) /[www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) से प्राप्त किया जा सकता है।
38. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग कि अधिसूचना संख्या-2377(भ) दिनांक-16.03.2023 के अनुरूप "Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration -The settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the provisions mode in bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."
39. प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है। निविदाकार अपलोडेड अनुमोदित BOQ के अनुसार अभिलेख समर्पित करेंगे।
40. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8131(S) दिनांक- 24.07.2012 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में Joint Venture मान्य होगा।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमंडल संख्या-03, भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- भवन/का०अभि०/सं०प्र०सं०-3/निविदा/2025-26

.....पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि - निदेशक ,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की एक प्रति एवं सी.डी. के साथ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमंडल संख्या-03, भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- भवन/का०अभि०/सं०प्र०सं०-3/निविदा/2025-26

.....पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (पटना)/मुख्य अभियंता (निरूपण)/मुख्य विद्युत अभियंता/मुख्य वास्तुविद/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन, अंचल पटना/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-01/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-02/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत संरचना प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमंडल संख्या-03, भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- भवन/का०अभि०/सं०प्र०सं०-3/निविदा/2025-26

.....पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी सहायक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/रोकड़पाल, संरचना प्रमंडल संख्या-03, भवन निर्माण विभाग, पटना को (नोटिस बोर्ड पर Display हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमंडल संख्या-03, भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापक:- भवन/का०अभि०/सं०प्र०सं०-3/निविदा/2025-26

122.....पटना, दिनांक-28/01/26

प्रतिलिपि:- आईटी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमंडल संख्या-03, भवन निर्माण विभाग, पटना।

28/01/26